ई-मेल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
pranganmpsamb12@gmail.com

क्रमांक/प्रांगण/नवीन मंडी/विविध/46/82/ 1416 भोपाल, दिनांक 03/05/2024

प्रति,

1. संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)।
2. कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग .... (समस्त)।
3. सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति........... (समस्त),
जिला .... (समस्त)।

विषय: मुख्यालय को वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव आदि के संबंध में।

संदर्भ : म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/प्रांगण/न.म/10/3/ताल/1337 दिनांक 01/12/2023

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मंडी बोर्ड मुख्यालय को वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं, सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति पुनः संलग्न है।

किन्तु, कतिपय रूप से देखने में आया है कि उपरोक्त निर्देशों के उपरांत भी वर्तमान तक मंडी समितियों द्वारा वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव मुख्यालय की ऋण एवं स्वीकृति शाखा को प्रेषित करने के स्थान पर प्रांगण शाखा को ही प्रेषित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रस्तावों में आंचलिक कार्यालय की स्पष्ट अनुशंसा संलग्न किये जाने के स्थान पर आंचलिक कार्यालय द्वारा प्रकरणों को मूलतः मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है। जिस कारण महत्वपूर्ण कार्य अनावश्यक रूप से लंबित होने की स्थितियां निर्मित होती है, जो कि उचित नहीं है।

अतः पुनः लेख है कि प्रशासकीय स्वीकृति हेतु संदर्भित पत्र से जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में पूर्ण प्रस्ताव, समस्त अभिलेख एवं आंचलिक कार्यालय की स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रांगण शाखा को प्रेषित किया जाये तथा वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव ऋण एवं स्वीकृति शाखा को प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि प्रांगण शाखा को पृष्ठांकित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे विधिसम्मत् कार्यवाही समयावधि में पूर्ण की जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

3/5/24

उप संचालक (प्रांगण)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 किसान भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/न.मं /10/3/ताल/ 1337 भोपाल, दिनांक 01/12/2023

प्रति,

1. संयुक्त संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, ... (समस्त)

2. सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति........................(समस्त)
जिला .... (म0प्र0)

विषय:- प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी स्थापना, उपमंडी का स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/उपमंडी प्रांगण का विस्तार या मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में दिशा-निर्देश बावत्।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/नवीनमंडी/विविध/46/62/325-326 दिनांक 16/07/2021।

......000....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी स्थापना, उपमंडी को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण/मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में विस्तारित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

किन्तु कतिपय रूप से यह देखने मे आ रहा है कि अधिकांश आंचलिक कार्यालयों से प्रस्ताव की वाणिज्यिक व्यवहारिकता, उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा अन्य निर्धारित मापदण्डों एवं जारी परिपत्र के अनुसार पूर्ण परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति किये बिना ही प्रस्ताव सीधे मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं, जो उचित नहीं है।

अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश की नवीन कृषि उपज मंडी समिति/ उपमंडी स्थापना, उपमंडी को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन/मंडी प्रांगण का विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण/मंडी प्रांगण को नगर/शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है-

1/ जन प्रतिनिधियों या अन्य माध्यम से प्राप्त सुझाव पत्र पर उस क्षेत्र विशेष की मंडी समिति सर्वप्रथम उस ग्राम/नगर/स्थान में मंडी/उपमंडी/प्रांगण विस्तार या नवीन मंडी प्रांगण की उपयुक्तता का परीक्षण करेंगी, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से पहुंच मार्ग, पानी, बिजली आदि की उपलब्धता एवं उस पर संभावित व्यय का आंकलन, व्यापारियों एवं किसानों के आवागमन की सुविधा एवं सुरक्षा आदि का आंकलन कर टीप अंकित की जायें।

2/ इसके पश्चात उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के संदर्भ मे कंडिका 01 में उल्लेखानुसार मंडी समिति प्रस्ताव/ठहराव कर वस्तुस्थिति से संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय को अवगत कराएगी, जिस पर आंचलिक कार्यालय प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा कर, कि मंडी/उपमंडी/प्रांगण विस्तार/नवीन मंडी प्रांगण व्यवहार्य है या नहीं, की टीप अंकित कर वरिष्ठालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

3/ शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि की उपयुक्तता के संबंध में संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग की संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, वर्तमान में प्रचलित प्रश्नावली एवं जांच रिपोर्ट, मंडी समिति के प्रस्ताव/ठहराव आदि का समावेश होने पर वरिष्ठालय द्वारा गठित समिति के आदेश क्रमांक/नवीन मंडी/विविध/46/62/325-326 दिनांक 16-07-2021 से अनुमोदित प्रतिवेदन/प्रस्ताव अनुसार आंचलिक कार्यालय/मण्डी समिति स्तर पर नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

4/ नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत भूमि आदेश/आधिपत्य प्राप्त होने की सूचना विधिवत वरिष्ठालय को दी जावें। विविधत सूचना/आदेश [illegible] अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। पश्चात में भूमि के अधिग्रहण/क्रय करने की विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कराकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिसूचना का प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जावे।

5/ वरिष्ठालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात शासन से समन्वय कर अधिसूचना के प्रकाशन की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।

01/12/23

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Mangal

क्रमांक/प्रांगण/नं.मं./10/3/ताल/ 1338 भोपाल, दिनांक 01/12/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल मुख्यालय।
2. अपर संचालक/संयुक्त/उपसंचालक/अधीक्षण यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, मुख्यालय।
3. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय/ तकनीकी संभाग, ...(समस्त)।
4. ऋण स्वीकृति/लेखा/विधि/निर्माण/वि.जांच शाखा/आदि।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल